




## राज्यपाल सचिवालय, बिहार

राजभवन, पटना-800022

अपीलीय प्राधिकार के समक्ष सूचना का अधिकार संबंधी अपील वाद

संख्या-18 (लौ0सू0अ0)/2023-24

श्री कृष्ण कुमार सिंह, C/o श्री अर्जून कुमार, निवास राघोपुर, पो0-भिखनपुर, जिला-मुजफ्फरपुर बनाम लोक सूचना पदाधिकारी-सह-प्रभारी वेतन सत्यापन कोषांग, पटना, उच्च शिक्षा विभाग, पटना

आदेश की क्रम संख्या एवं तिथि	आदेश फलक
10.05.2023	<p>श्री कृष्ण कुमार सिंह, C/o श्री अर्जून कुमार, निवास राघोपुर, पो0-भिखनपुर, जिला-मुजफ्फरपुर के माध्यम से एक प्रथम अपील आवेदन दिनांक-05.05.2023 इस कार्यालय में दिनांक-09.05.2023 को प्राप्त हुआ है। उक्त अपील आवेदन के साथ शुल्क के रूप में 10/- रूपए का पोस्टल ऑर्डर संख्या-60F 285399 दिनांक-17.04.2023 संलग्न है। इसे लेखा शाखा को हस्तगत कराये।</p> <p>अपीलकर्ता श्री कृष्ण कुमार सिंह ने अपने अपील आवेदन में यह सूचित किया है कि उनके द्वारा दिनांक-02.04.2023 को सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन लोक सूचना पदाधिकारी-सह-प्रभारी वेतन सत्यापन कोषांग, पटना, उच्च शिक्षा विभाग, पटना को दिया था, परंतु सूचना लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा कार्रवाई नहीं किया गया है, जिसके फलस्वरूप प्रथम अपीलीय प्राधिकार-सह-संयुक्त सचिव, राज्यपाल सचिवालय, के समक्ष प्रथम अपील दायर किया है।</p> <p>साथ ही श्री उक्त अपील आवेदन के साथ प्रपत्र 'क' दिनांक-02.04.2023 की प्रति भी संलग्न है।</p> <p>विदित हो कि कोई भी विभाग सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत एक स्वतंत्र लोक प्राधिकार है, जिसके कारण संबंधित विभाग द्वारा अपने विभाग के लिए लोक सूचना पदाधिकारी एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकार को Designate किया जाता है। अतः विभाग में सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत दायर होने वाले आवेदन के लिए लोक सूचना पदाधिकारी एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकार उक्त विभाग के अंतर्गत ही रहते हैं न कि राज्यपाल सचिवालय अथवा कुलाधिपति कार्यालय में।</p> <p>अपीलकर्ता श्री कृष्ण कुमार सिंह ने गलत अपीलीय प्राधिकार के समक्ष प्रथम अपील दायर किया है, अतः इसे अस्वीकृत किया जाता है।</p> <p>सभी संबंधित को सूचित करें।</p> <p style="text-align: right;"> विशेष कार्य पदाधिकारी -सह- प्रथम अपीलीय प्राधिकार</p>




## राज्यपाल सचिवालय, बिहार

राजभवन, पटना-800022

अपीलीय प्राधिकार के समक्ष सूचना का अधिकार संबंधी अपील वाद

संख्या-19 (लौ0सू0अ0)/2023-24

श्री कृष्ण कुमार सिंह, C/o श्री अर्जून कुमार, निवास राघोपुर, पो0-भिखनपुर, जिला-मुजफ्फरपुर बनाम  
लोक सूचना पदाधिकारी-सह-प्रभारी वेतन सत्यापन कोषांग, पटना, उच्च शिक्षा विभाग, पटना

आदेश की क्रम संख्या एवं तिथि	आदेश फलक
10.05.2023	<p>श्री कृष्ण कुमार सिंह, C/o श्री अर्जून कुमार, निवास राघोपुर, पो0-भिखनपुर, जिला-मुजफ्फरपुर के माध्यम से एक प्रथम अपील आवेदन दिनांक-05.05.2023 इस कार्यालय में दिनांक-09.05.2023 को प्राप्त हुआ है। उक्त अपील आवेदन के साथ शुल्क के रूप में 10/- रुपए का पोस्टल ऑर्डर संख्या-60F 284475 दिनांक-01.04.2023 संलग्न है। इसे लेखा शाखा को हस्तगत कराये।</p> <p>अपीलकर्ता श्री कृष्ण कुमार सिंह ने अपने अपील आवेदन में यह सूचित किया है कि उनके द्वारा दिनांक-02.04.2023 को सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन लोक सूचना पदाधिकारी-सह-प्रो. आर.के. ठाकुर, कुलसचिव, बी.आर.ए. बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर को दिया था, परंतु सूचना लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा कार्रवाई नहीं किया गया है, जिसके फलस्वरूप प्रथम अपीलीय प्राधिकार-सह-संयुक्त सचिव के समक्ष प्रथम अपील दायर किया है।</p> <p>साथ ही श्री उक्त अपील आवेदन के साथ प्रपत्र 'क' दिनांक-02.04.2023 की प्रति भी संलग्न है।</p> <p>विदित हो कि कोई भी विश्वविद्यालय एक स्वायत्त (Autonomous) संस्था है तथा यह सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत एक स्वतंत्र लोक प्राधिकार है, जिसके कारण संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा अपने विश्वविद्यालय के लिए लोक सूचना पदाधिकारी एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकार को Designate किया जाता है। अतः विश्वविद्यालय में सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत दायर होने वाले आवेदन के लिए लोक सूचना पदाधिकारी एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकार उक्त विश्वविद्यालय के अंतर्गत ही रहते हैं न कि राज्यपाल सचिवालय अथवा कुलाधिपति कार्यालय में।</p> <p>अपीलकर्ता श्री कृष्ण कुमार सिंह ने गलत अपीलीय प्राधिकार के समक्ष प्रथम अपील दायर किया है, अतः इसे अस्वीकृत किया जाता है। सभी संबंधित को सूचित करें।</p> <p style="text-align: right;"> विशेष कार्य पदाधिकारी -सह- प्रथम अपीलीय प्राधिकार</p>




## राज्यपाल सचिवालय, बिहार

राजभवन, पटना-800022

अपीलीय प्राधिकार के समक्ष सूचना का अधिकार संबंधी अपील वाद

संख्या-20 (लो0सू0अ0)/2023-24

श्री कृष्ण कुमार सिंह, C/o श्री अर्जून कुमार, निवास राघोपुर, पो0-भिखनपुर, जिला-मुजफ्फरपुर बनाम  
लोक सूचना पदाधिकारी-सह-प्रभारी वेतन सत्यापन कोषांग, पटना, उच्च शिक्षा विभाग, पटना

आदेश की क्रम संख्या एवं तिथि	आदेश फलक
10.05.2023	<p>श्री कृष्ण कुमार सिंह, C/o श्री अर्जून कुमार, निवास राघोपुर, पो0-भिखनपुर, जिला-मुजफ्फरपुर के माध्यम से एक प्रथम अपील आवेदन दिनांक-05.05.2023 इस कार्यालय में दिनांक-09.05.2023 को प्राप्त हुआ है। उक्त अपील आवेदन के साथ शुल्क के रूप में 10/- रूपए का पोस्टल ऑर्डर संख्या-60F 286103 दिनांक-28.04.2023 संलग्न है। इसे लेखा शाखा को हस्तगत कराये।</p> <p>अपीलकर्ता श्री कृष्ण कुमार सिंह ने अपने अपील आवेदन में यह सूचित किया है कि उनके द्वारा दिनांक-02.04.2023 को सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन लोक सूचना पदाधिकारी-सह-वित्त पदाधिकारी, बी.आर.ए. बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर को दिया था, परंतु सूचना लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा कार्रवाई नहीं किया गया है, जिसके फलस्वरूप प्रथम अपीलीय प्राधिकार-सह-संयुक्त सचिव के समक्ष प्रथम अपील दायर किया है।</p> <p>साथ ही श्री उक्त अपील आवेदन के साथ प्रपत्र 'क' दिनांक-02.04.2023 की प्रति भी संलग्न है।</p> <p>विदित हो कि कोई भी विश्वविद्यालय एक स्वायत्त (Autonomous) संस्था है तथा यह सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत एक स्वतंत्र लोक प्राधिकार है, जिसके कारण संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा अपने विश्वविद्यालय के लिए लोक सूचना पदाधिकारी एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकार को Designate किया जाता है। अतः विश्वविद्यालय में सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत दायर होने वाले आवेदन के लिए लोक सूचना पदाधिकारी एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकार उक्त विश्वविद्यालय के अंतर्गत ही रहते हैं न कि राज्यपाल सचिवालय अथवा कुलाधिपति कार्यालय में।</p> <p>अपीलकर्ता श्री कृष्ण कुमार सिंह ने गलत अपीलीय प्राधिकार के समक्ष प्रथम अपील दायर किया है, अतः इसे अस्वीकृत किया जाता है।</p> <p>सभी संबंधित को सूचित करें।</p> <p style="text-align: right;"> विशेष कार्य पदाधिकारी -सह- प्रथम अपीलीय प्राधिकार</p>




## राज्यपाल सचिवालय, बिहार

राजभवन, पटना-800022

अपीलीय प्राधिकार के समक्ष सूचना का अधिकार संबंधी अपील वाद

संख्या-21 (लो0सू0अ0)/2023-24

श्री कृष्ण कुमार सिंह, C/o श्री अर्जून कुमार, निवास राघोपुर, पो0-भिखनपुर, जिला-मुजफ्फरपुर बनाम  
लोक सूचना पदाधिकारी-सह-प्रभारी वेतन सत्यापन कोषांग, पटना, उच्च शिक्षा विभाग, पटना

आदेश की क्रम संख्या एवं तिथि	आदेश फलक
10.05.2023	<p>श्री कृष्ण कुमार सिंह, C/o श्री अर्जून कुमार, निवास राघोपुर, पो0-भिखनपुर, जिला-मुजफ्फरपुर के माध्यम से एक प्रथम अपील आवेदन दिनांक-05.05.2023 इस कार्यालय में दिनांक-09.05.2023 को प्राप्त हुआ है। उक्त अपील आवेदन के साथ शुल्क के रूप में 10/- रूपए का पोस्टल ऑर्डर संख्या-60F 285398 दिनांक-17.04.2023 संलग्न है। इसे लेखा शाखा को हस्तगत कराये।</p> <p>अपीलकर्ता श्री कृष्ण कुमार सिंह ने अपने अपील आवेदन में यह सूचित किया है कि उनके द्वारा दिनांक-02.04.2023 को सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन लोक सूचना पदाधिकारी-सह-प्रो. शैलेन्द्र चतुर्वेदी, कुलपति, बी.आर.ए. बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर को दिया था, परंतु सूचना लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा कार्रवाई नहीं किया गया है, जिसके फलस्वरूप प्रथम अपीलीय प्राधिकार-सह-संयुक्त सचिव के समक्ष प्रथम अपील दायर किया है।</p> <p>साथ ही श्री उक्त अपील आवेदन के साथ प्रपत्र 'क' दिनांक-02.04.2023 की प्रति भी संलग्न है।</p> <p>विदित हो कि कोई भी विश्वविद्यालय एक स्वायत्त (Autonomous) संस्था है तथा यह सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत एक स्वतंत्र लोक प्राधिकार है, जिसके कारण संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा अपने विश्वविद्यालय के लिए लोक सूचना पदाधिकारी एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकार को Designate किया जाता है। अतः विश्वविद्यालय में सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत दायर होने वाले आवेदन के लिए लोक सूचना पदाधिकारी एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकार उक्त विश्वविद्यालय के अंतर्गत ही रहते हैं न कि राज्यपाल सचिवालय अथवा कुलाधिपति कार्यालय में।</p> <p>अपीलकर्ता श्री कृष्ण कुमार सिंह ने गलत अपीलीय प्राधिकार के समक्ष प्रथम अपील दायर किया है, अतः इसे अस्वीकृत किया जाता है। सभी संबंधित को सूचित करें।</p> <p style="text-align: right;"> विशेष कार्य पदाधिकारी -सह- प्रथम अपीलीय प्राधिकार</p>